

**तत्काल**

**विषय:-**

**हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2026-27 के वेतन में से आयकर का निर्धारण/कटौति करने बारे।**

\*\*\*\*\*

क्या

1. मुख्य मंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव/ अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/ विशेष कार्यकारी अधिकारी/ राजनीतिक सचिव/ राजनीतिक सलाहाकार/ विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2. मंत्रीगण के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
3. मुख्य सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/आयुक्त एवं सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/अवर सचिवों के निजी सहायक।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/पुस्तकाध्यक्ष/उप-अधीक्षक/शाखा इन्चार्ज।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/उप जिला न्यायवादी/सहायक न्यायवादी/लेखा अधिकारी/अनुसन्धान अधिकारी।

उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेगे ?

2. लेखा शाखा द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के वेतन से आयकर का निर्धारण करके कटौती की जानी है। अतः उनसे अनुरोध है कि उनके अधीन कार्य कर रहे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दें कि क्या वे **आयकर में छूट लेने के लिये पुराना विकल्प या नया विकल्प से आयकर की कटौति करवाना चाहते है।** इस बारे **दिनांक 27.03.2026** तक लेखा शाखा में लिख कर भेजे।

**जय प्रकाश**  
अधीक्षक लेखा

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

office Phone No. 0172-2740001,226,326 RAX-5511

Email-superintendent1@gmail.com

सेवा में

1. मुख्य मंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव/ अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/ विशेष कार्यकारी अधिकारी/ राजनीतिक सचिव/ राजनीतिक सलाहाकार/ विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2. मंत्रीगण के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
3. मुख्य सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/आयुक्त एवं सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/अवर सचिवों के निजी सहायक।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/पुस्तकाध्यक्ष/उप-अधीक्षक/शाखा इन्चार्ज।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/उप जिला न्यायवादी/सहायक न्यायवादी/लेखा अधिकारी/अनुसन्धान अधिकारी।

अशा क्रमांक 11/15/2023-3ए

दिनांक चण्डीगढ 19 मार्च 2026